

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर०ए०एस०)  
प्रकरण संख्या - 603/2022

अनवान : -

1. नवरतन चाचाण पुत्र प्रयागचन्द जाति चाचाण साकिन नोहर तहसील नोहर।

- वादी

**बनाम**

1. अशोककुमार पुत्र मुकुनलाल जाति अग्रवाल साकिन नोहर तहसील नोहर।
2. कुसुम गर्ग पुत्री प्रयागचन्द जाति चाचाण साकिन नोहर तहसील नोहर।
3. दया गर्ग पुत्री प्रयागचन्द जाति चाचाण साकिन नोहर तहसील नोहर।
4. निरंजनलाल पुत्र मुकनलाल जाति अग्रवाल साकिन नोहर तहसील नोहर।
5. बिन्दुदेवी पत्नी किशनलाल जाति रानिया साकिन नोहर तहसील नोहर।
6. मन्जू देवी पुत्री प्रयागचन्द जाति चाचाण साकिन नोहर तहसील नोहर।
7. मदनलाल पुत्र फरसाराण जाति कुम्हार साकिन मसीतावाली तहसील टिब्बी।
8. राहुल पुत्र सुरेश कुमार जाति चाचाण साकिन नोहर तहसील नोहर।
9. ललित मोहन गोल्याण पुत्र चौथमल गोल्याण जाति अग्रवाल साकिन वार्ड न० 22 नोहर तहसील नोहर।
10. राजकुमार पुत्र द्वारकाप्रसाद जाति रानिया साकिन नोहर तहसील नोहर।
11. पवन कुमार पुत्र द्वारकाप्रसाद जाति रानिया साकिन नोहर तहसील नोहर।
12. मंजू देवी पुत्री द्वारकाप्रसाद जाति रानिया साकिन नोहर तहसील नोहर।
13. मधुदेवी पुत्री द्वारकाप्रसाद जाति रानिया साकिन नोहर तहसील नोहर।
14. दिनेश कुमार पुत्र द्वारकाप्रसाद जाति रानिया साकिन नोहर तहसील नोहर।
15. मुकेश कुमार पुत्र हरिगोविन्द जाति रानिया साकिन नोहर तहसील नोहर।
16. रितुदेवी पुत्री हरिगोविन्द जाति रानिया साकिन नोहर तहसील नोहर।
17. प्रितिका पुत्री हरिगोविन्द जाति रानिया साकिन नोहर तहसील नोहर।
18. सन्दीप पुत्र सीतादेवी जाति रानिया साकिन नोहर तहसील नोहर।
19. निमलदेवी पुत्री सीतादेवी जाति रानिया साकिन नोहर तहसील नोहर।
20. किरण पुत्री सीतादेवी जाति रानिया साकिन नोहर तहसील नोहर।
21. अरुण कुमार पुत्र नर्मदा देवी जाति रानिया साकिन नोहर तहसील नोहर।
22. निलु देवी पुत्री नर्मदा देवी जाति रानिया साकिन नोहर तहसील नोहर।
23. सुधाषु पुत्र उमा देवी जाति रानिया साकिन नोहर तहसील नोहर।
24. शंकरलाल पुत्र मुकनलाल जाति अग्रवाल साकिन नोहर तहसील नोहर।
25. सचिन पुत्र सुरेश कुमार जाति चाचाण साकिन नोहर तहसील नोहर।
26. संजय गोल्याण पुत्र चौथमल गोल्याण जाति अग्रवाल साकिन वार्ड न० 22 नोहर तहसील नोहर।
27. सतीश कुमार गोल्याण पुत्र चौथमल गोल्याण जाति अग्रवाल साकिन वार्ड न० 22 नोहर तहसील नोहर।
28. सुभाष कुमार पुत्र प्रयागचन्द जाति चाचाण साकिन नोहर तहसील नोहर।
29. सरोज देवी पत्नी सरेश कुमार जाति चाचाण साकिन नोहर तहसील नोहर।
30. सीता देवी पत्नी प्रयागचन्द जाति चाचाण साकिन नोहर तहसील नोहर।
31. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा

53,88 राजस्थान कास्तक अधिनियम

उपस्थिति :- श्री हवासिंह अधिवक्ता वादी

श्री माडूराम अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक: 17/11/22

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ)

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कस्बा नोहर तहसील नोहर जमाबंदी सम्वत् 2070-2073 के खाता संख्या 40/36 के खसरा न० 110 की 2.3140 है० भूमि में वादी 661/23140 हिस्सा, प्रतिवादी न० 1 का 1/20 हिस्सा प्रतिवादी न० 2 का 661/23140 हिस्सा, प्रतिवादी स० 3 का 661/23140 हिस्सा, प्रतिवादी स० 4 का 401/890 हिस्सा, प्रतिवादी स० 5 का 44/445 हिस्सा, प्रतिवादी न० 6 का 661/23140 हिस्सा, प्रतिवादी न० 7 का 9/11570 हिस्सा, प्रतिवादी न० 8 का 17/1780 हिस्सा, प्रतिवादी न० 9 का 193/11570 हिस्सा, प्रतिवादी न० 10 ता 14 का 2307/37027 हिस्सा, प्रतिवादी न० 15 ता 17 का 2307/185120 हिस्सा, प्रतिवादी न० 18 ता 20 का 6921/740480 हिस्सा, प्रतिवादी न० 21 ता 22 का 2307/740480 हिस्सा, प्रतिवादी न० 23 का 2307/185120 हिस्सा, प्रतिवादी न० 24 का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी न० 25 का 17/1780 हिस्सा, प्रतिवादी न० 26 का 193/11570 हिस्सा, प्रतिवादी न० 27 का 193/11570 हिस्सा, प्रतिवादी न० 28 का 661/23140 हिस्सा, प्रतिवादी न० 29 का 11/1157 हिस्सा, प्रतिवादी न० 30 का 331/11570 हिस्सा, भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

विधादेवी पत्नी द्वारकाप्रसाद जाति रानिया साकिन नोहर फौत हो चकी है जिसके जायज वारीस प्रतिवादी न० 10 ता 14 एवं हरगोविन्द पुत्र द्वारकाप्रसाद व सीतादेवी, उमादेवी पुत्रीयान द्वारकाप्रसाद ही है जिसमें हरिगोविन्द पुत्र द्वारकाप्रसाद व सीतादेवी, उमादेवी पुत्रीयान द्वारकाप्रसाद फौत हो चुके है। हरिगोविन्द पुत्र द्वारकाप्रसाद के जायज वारीस प्रतिवादी न० 15 ता 17 ही है एवं सीतादेवी के जायज वारिसान प्रतिवादी न० 18 ता 20 एवं नर्मदा देवी पुत्री सीतादेवी ही है नर्मदा देवी पुत्री सीता देवी फौत हो चुकी है जिसके जायज वारिस प्रतिवादी स० 21 ता 22 ही है एवं उमा देवी पुत्री द्वारकाप्रसाद जिसके जायज वारीस प्रतिवादी न० 23 ही है।

वाद भूमि का काफी अर्सा पहले वादी एवं प्रतिवादीगण में बाहमी बंटवारा हो गया था, जिसमें पक्षकारान के द्वारा अपने-अपने हिस्सा में आई भूमि को अलग-अलग काश्त करना शुरू कर दिया लेकिन विवादित भूमि का खाता व लगान मुस्तरका है जिससे लगान कास्त एवं सीव का झगड़ा रहता है इसलिए वादी अपनी बाहमी बंटवारा में प्राप्त भूमि का खाता व लगान तकसीम करवाकर अलग से खाता कायम करवाने का कानूनी अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक बाहमी बंटवारा खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होने के उपरान्त मुताबिक संशोधित अर्जीदावा प्रतिवादी स० 1, 4, 9, 24, 26, 27, ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश किया तथा शेष प्रतिवादी स० 2, ता 3, 5 ता 8, 10 ता 23, 25, 28 ता 30 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न तो प्रतिवादीगण स० 2, ता 3, 5 ता 8, 10 ता 23, 25, 28 ता 30 स्वयं उपस्थित हुए और नही उनकी और से कोई विधिक पेरोकार उपस्थित हुआ। अतः प्रतिवादीगण स० 2, ता 3, 5 ता 8, 10 ता 23, 25, 28 ता 30 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता वादी द्वारा O1R10 CPC का प्रार्थना पत्र तथा वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र O1R10 (2) व 151 CPC का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की दौराने दावा प्रतिवादी स० 1, 7, 9, 12, 13, 15, 30, 35 ने अपने हक व हिस्सा की भूमि प्रतिवादी स० 6 निरंनलाल को बैय कर दी है और उनका हिस्सा निरंजनलाल के नाम दर्ज हो चुका है। इसलिए विवादीत भूमि में उनका कोई हित नही है अतः इनका नाम कलमजन योग्य है। प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

28  
उपस्रण्डाधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रतिवादी अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र O1R10 CPC व प्रार्थना पत्र O1R10 (2) व 151 CPC स्वीकार किया जाकर दावा में प्रतिवादी स0 1, 7, 9, 12, 13, 15, 30, 35 का नाम कलमजन किया जाता है। अधिवक्ता वादी द्वारा वाद में संशोधित अर्जीदावा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

तहसीलदार नोहर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने निवेदन किया कि पक्षकारान के हिस्सा अनुसार तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के विवादित भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किया जावें। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने भी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता व लगान अलग करवाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा कस्बा नोहर तहसील नोहर के के खाता स0 40/36 में अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का अन्य सहकाशकारान से खाता व लगान अलग कायम करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

वादी स0 1 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी न0 2 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादीया स0 3 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी न0 6 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी न0 28 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी न0 30 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी न0 8 का 1/21 हिस्सा, प्रतिवादी न0 25 का 1/21 हिस्सा, प्रतिवादी न0 29 का 1/21 हिस्सा खातेदार :-

कस्बा नोहर के ख0न0 110/2 की 0.4629 हैक्ट बारानी प्रथम प्रतिवादी स0 1 का 1157/18511 हिस्सा, प्रतिवादी स0 9 का 386/18511 हिस्सा, प्रतिवादी स0 26 का 386/18511 हिस्सा, प्रतिवादी स0 27 का 386/18511 हिस्सा, प्रतिवादी स0 4 का 10426/18511 हिस्सा, प्रतिवादी स0 5 का 2288/18511 हिस्सा, विधा देवी पत्नी द्वाराका प्रसाद 2307/18511 हिस्सा, प्रतिवादी स0 24 का 1157/18511 हिस्सा, प्रतिवादी स0 7 18/18511 हिस्सा खातेदार :-

कस्बा नोहर ख0न0 110/1 की 0.506 है0, ख0न0 110/3 की 1.3451 है0 कुल किता 2 रकबा 1.8511 है0।

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 17/11/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर नोहर

**अन्तिम पर्चा डिक्री**  
**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर नोहर**  
**जिला हनुमानगढ़**

**पीठासीन अधिकारी :-सत्यनारायण आर.ए.एस.**

मि0न0 - 603/2022

अनवान : -

1. नवरतन चाचाण पुत्र प्रयागचन्द जाति चाचाण साकिन नोहर तहसील नोहर।

- वादी

**बनाम**

1. अशोककुमार पुत्र मुकुनलाल जाति अग्रवाल साकिन नोहर तहसील नोहर।
2. कुसुम गर्ग पुत्री प्रयागचन्द जाति चाचाण साकिन नोहर तहसील नोहर।
3. दया गर्ग पुत्री प्रयागचन्द जाति चाचाण साकिन नोहर तहसील नोहर।
4. निरंजनलाल पुत्र मुकनलाल जाति अग्रवाल साकिन नोहर तहसील नोहर।
5. बिन्दुदेवी पत्नी किशनलाल जाति रानिया साकिन नोहर तहसील नोहर।
6. मन्जू देवी पुत्री प्रयागचन्द जाति चाचाण साकिन नोहर तहसील नोहर।
7. मदनलाल पुत्र फरसाराण जाति कुम्हार साकिन मसीतावाली तहसील टिब्बी।
8. राहुल पुत्र सुरेश कुमार जाति चाचाण साकिन नोहर तहसील नोहर।
9. ललित मोहन गोल्याण पुत्र चौथमल गोल्याण जाति अग्रवाल साकिन वार्ड न0 22 नोहर तहसील नोहर।
10. राजकुमार पुत्र द्वारकाप्रसाद जाति रानिया साकिन नोहर तहसील नोहर।
11. पवन कुमार पुत्र द्वारकाप्रसाद जाति रानिया साकिन नोहर तहसील नोहर।
12. मंजू देवी पुत्री द्वारकाप्रसाद जाति रानिया साकिन नोहर तहसील नोहर।
13. मधुदेवी पुत्री द्वारकाप्रसाद जाति रानिया साकिन नोहर तहसील नोहर।
14. दिनेश कुमार पुत्र द्वारकाप्रसाद जाति रानिया साकिन नोहर तहसील नोहर।
15. मुकेश कुमार पुत्र हरिगोविन्द जाति रानिया साकिन नोहर तहसील नोहर।
16. रितुदेवी पुत्री हरिगोविन्द जाति रानिया साकिन नोहर तहसील नोहर।
17. प्रितिका पुत्री हरिगोविन्द जाति रानिया साकिन नोहर तहसील नोहर।
18. सन्दीप पुत्र सीतादेवी जाति रानिया साकिन नोहर तहसील नोहर।
19. निमलदेवी पुत्री सीतादेवी जाति रानिया साकिन नोहर तहसील नोहर।
20. किरण पुत्री सीतादेवी जाति रानिया साकिन नोहर तहसील नोहर।
21. अरुण कुमार पुत्र नर्मदा देवी जाति रानिया साकिन नोहर तहसील नोहर।
22. निलु देवी पुत्री नर्मदा देवी जाति रानिया साकिन नोहर तहसील नोहर।
23. सुधाषु पुत्र उमा देवी जाति रानिया साकिन नोहर तहसील नोहर।
24. शंकरलाल पुत्र मुकनलाल जाति अग्रवाल साकिन नोहर तहसील नोहर।
25. सचिन पुत्र सुरेश कुमार जाति चाचाण साकिन नोहर तहसील नोहर।
26. संजय गोल्याण पुत्र चौथमल गोल्याण जाति अग्रवाल साकिन वार्ड न0 22 नोहर तहसील नोहर।
27. सतीश कुमार गोल्याण पुत्र चौथमल गोल्याण जाति अग्रवाल साकिन वार्ड न0 22 नोहर तहसील नोहर।
28. सुभाष कुमार पुत्र प्रयागचन्द जाति चाचाण साकिन नोहर तहसील नोहर।
29. सरोज देवी पत्नी सुरेश कुमार जाति चाचाण साकिन नोहर तहसील नोहर।
30. सीता देवी पत्नी प्रयागचन्द जाति चाचाण साकिन नोहर तहसील नोहर।
31. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़)

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री हवासिंह व वकील प्रतिवादी श्री माडुराम व पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नोहर डिक्री किया जाता है तथा रोही मौजा कस्बा नोहर तहसील नोहर जमाबंदी सम्वत् 2070-2073 के खाता संख्या 40/36 के खसरा न0 110 की 2.3140है0 भूमि में का वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों तथा मुताबिक तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाकर निम्नानुसार पक्षकारान के खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-


वादी स0 1 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी न0 2 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादीया स0 3 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी न0 6 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी न0 28 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी न0 30 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी न0 8 का 1/21 हिस्सा, प्रतिवादी न0 25 का 1/21 हिस्सा, प्रतिवादी न0 29 का 1/21 हिस्सा खातेदार :-

कस्बा नोहर के ख0न0 110/2 की 0.4629 हैक्ट बारानी प्रथम प्रतिवादी स0 1 का 1157/18511 हिस्सा, प्रतिवादी स0 9 का 386/18511 हिस्सा, प्रतिवादी स0 26 का 386/18511 हिस्सा, प्रतिवादी स0 27 का 386/18511 हिस्सा, प्रतिवादी स0 4 का 10426/18511 हिस्सा, प्रतिवादी स0 5 का 2288/18511 हिस्सा, विधा देवी पत्नी द्वाराका प्रसाद 2307/18511 हिस्सा, प्रतिवादी स0 24 का 1157/18511 हिस्सा, प्रतिवादी स0 7 18/18511 हिस्सा खातेदार :-

कस्बा नोहर ख0न0 110/1 की 0.506है0, ख0न0 110/3 की 1.3451है0 कुल किता 2 रकबा 1.8511है0।

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/11/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(सत्यनारायण R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर